बिहार सरकार

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORICULTURE BOARD

राज्यस्तरीय आम विविधता प्रदर्शनी-सह-प्रतियोगिता, 2017

दिनांक : 09-11 जून, 2017

स्थान : डॉ० देशरत्न उद्यान, पटना

आयोजक

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी
एवं
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

सह-आयोजक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक :

श्री राम विचार राय, कृषि मंत्री, बिहार सरकार
श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार
डॉ० अजय कुमार सिंह, कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
श्री अरविन्दर सिंह, निदेशक उद्यान –सह– मिशन निदेशक, रा.बा.मि., बिहार सरकार

संयोजक :

डॉ० मो० फिजा अहमद, विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
डॉ० अजय कुमार, उप निदेशक उद्यान (नर्सरी विकास), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

सचिव :

डॉ० आर० आर० सिंह, निदेशक बीज एवं परिक्षेत्र, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
श्री पवन कुमार, संयुक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

कार्यकारी :

डॉ० आर० के सोहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
डॉ० विश्व बन्धु पटेल, सह–निदेशक, शोध, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती
श्री सुनील कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना
डॉ० रूबी रानी, सहायक प्राध्यापक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
श्री विभु विद्यार्थी, उप निदेशक उद्यान (प्र० एवं मू०), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना
डॉ० राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान (योजना), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना
श्री देव नारायण महतो, उप निदेशक उद्यान (सब्जी), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना
श्री नितेश कुमार राय, उप निदेशक उद्यान, पटना प्रमंडल, पटना
श्री विनय कुमार शुक्ल, सहायक निदेशक उद्यान (सामान्य एवं सूचना)
श्री नरेन्द्र मोहन, उद्यान पदाधिकारी, उद्यान निदेशालय, पटना

प्रवेश पत्र तथा अन्य जानकारी हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी से सम्पर्क करें :

1. डॉ० मो० फिजा अहमद : 9473196203
2. डॉ० रूबी रानी : 9162575664
3. डॉ० राकेश कुमार : 9431818933
4. सम्बद्ध जिला के सहायक निदेशक उद्यान

वेबसाईट : www.horticulture.bih.nic.in, www.bausabour.ac.in

उद्देश्य

विगत कई वर्षों से जून माह में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के प्रांगण में आयोजित की जा रही "आम दिवस" इस वर्ष बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के संयुक्त तत्वावधान में डॉ० देशरत्न उद्यान, देशरत्न मार्ग, पटना में राज्यस्तरीय आम विविधता प्रदर्शनी –सह– प्रतियोगिता, 2017 के प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी के मुख्य उद्देश्य कृषकों के बीच आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर राज्य में आम फसल की खेती का विकास कराना, आम के नई किस्मों एवं नई तकनीकों से बागवानों को अवगत कराना एवं राज्य में गुणवत्तायुक्त आम फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस वर्ष राज्यस्तरीय आम विविधता प्रदर्शनी –सह– प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम

क्र०	कार्यक्रम	दिनांक	समय
1	प्रदर्शों की प्रविष्टि	09.06.2017	09.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक
2	प्रदर्शों का मूल्यांकन	09.06.2017	04.00 बजे अपराह्न से
3	उद्घाटन	10.06.2017	विशिष्ट अतिथियों द्वारा निर्धारित समय
4	कृषक गोष्ठी	10.06.2017	11.00 बजे पूर्वाह्न में
5	आम जनों के लिए प्रदर्शन	10.06.2017 से 11.06. 2017	09.00 बजे पूर्वाह्न से 08.00 बजे रात्रि तक एवं 11.06.2017 को 07.00 बजे रात्रि तक
6	पुरस्कार वितरण	11.06.2017	03.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक
7	आम विविधता प्रदर्शनी का समापन	11.06.2017	07.00 बजे संध्या
8	प्रदर्शों की वापसी	11.06.2017	07.00 बजे संध्या से 08.00 बजे रात्रि तक

प्रदर्शनी नियमावली

वर्ग–1 आगात किस्में – 5 फल डंठल एवं पत्ता सहित

खण्ड–1 जर्दालू, खण्ड–2 मिठुआ, खण्ड–3 गुलाब खास, खण्ड–4 सुर्ख वर्मा, खण्ड–5 सुन्दर प्रसाद, खण्ड–6 जरदा, खण्ड–7 बम्बई, खण्ड–8 रानी पसन्द, खण्ड–9 गोपाल भोग, खण्ड–10 अन्य किस्में।

वर्ग–2 मध्यकालीन किस्में–5 फल डंठल एवं पत्ता सहित

खण्ड–1 लंगड़ा (मालदा), खण्ड–2 दीघा मालदह/सफेद मालदह, खण्ड–3 हेम सागर, खण्ड–4 अमन इब्राहिमपुर, खण्ड–5 कृष्णभोग, खण्ड–6 अलफॉन्सो, खण्ड–7 दशहरी, खण्ड–8 हुस्नेआरा, खण्ड–9 खासुलखास, खण्ड–10 बेनजीर, खण्ड–11 आबेहयात, खण्ड–12 अन्य किस्में।

वर्ग–3 पिछात किस्में–5 फल डंठल एवं पत्ता सहित

खण्ड–1 फजली, खण्ड–2 सुकुल, खण्ड–3 सीपीया, खण्ड–4 समरबहिस्त, चौसा, खण्ड–5 तैमुरिया, खण्ड–6 अन्य किस्में।

वर्ग–4 संकर किस्में–5 फल डंठल एवं पत्ता सहित

खण्ड–1 महमूद बहार, खण्ड–2 प्रभा शंकर, खण्ड–3 मल्लिका, खण्ड–4 आम्रपाली, खण्ड–5 अन्य किस्में।

वर्ग–5 आम बीजू–5 फल डंठल एवं पत्ता सहित

खण्ड–1 छोटा आकार, खण्ड–2 मंझोला आकार, खण्ड–3 बड़े आकार

वर्ग–6 घर में बनाये गये आम के संरक्षित पदार्थ

खण्ड–1 शर्बत–2 बोतल (200 मि.ली.), खण्ड–2 जैम–2 शीशी (200 ग्राम), खण्ड–3 आचार (तेल वाला)–15 फाँके, खण्ड–4 आचार (बिना तेलवाला)–15 फाँके, खण्ड–5 कच्चे फल का कूचा–मीठा या नमकीन 100 ग्राम, खण्ड–6 अमावट 100 ग्राम

वर्ग–7 संस्था या फैक्ट्री द्वारा बनाये गये आम के संरक्षित पदार्थ

खण्ड–1 डिब्बा बंद स्लाइस, खण्ड–2 डिब्बा बंद रस गुदा, खण्ड–3 हरा आम शर्बत–2 बोतल (200 मि.ली.), खण्ड–4 पका आम शर्बत–2 बोतल (200 मि.ली.)

वर्ग–8 कलमी आम के पौधे–नर्सरी एवं संस्थाओं के लिए

1–2 वर्ष के 3 पौधे। खण्ड–1 साटा कलम द्वारा तैयार, खण्ड–2 बीनीयर ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार।

प्रदर्श प्रवेश नियम एवं शर्त्तें

1. बिहार राज्य के सभी फल उत्पादक एवं संबंधित संस्थाएं तथा नर्सरियां इसमें भाग ले सकते हैं।

2. प्रदर्शनी के लिए प्रदर्श सामग्री इस विवरणिका (कार्यक्रम सूची) में दी गई प्रदर्शों की प्रविष्टि–तिथि एवं समय तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। विलम्ब से आई प्रदर्श स्वीकार नहीं की जायेगी।

3. एक प्रतिभागी सभी वर्गों के सभी खण्डों में प्रविष्टि ले सकता है, परंतु किसी एक खण्डों में एक प्रतिभागी का एक से अधिक प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी वर्ग के किसी खण्ड में एक से अधिक प्रभेदों / किस्मों का जिक्र हो तो उस वर्ग के उक्त खण्ड में एक प्रतिभागी हर प्रभेद / किस्म में प्रविष्टि ले सकता है।

4. प्रदर्श्य वस्तु लाने के लिए किसी प्रकार का खर्च नहीं दिया जायेगा।

5. प्रतिभागी द्वारा प्रदर्शनी हेतु लाए गए प्रदर्श उनके निजी बागों का उत्पाद होना अनिवार्य है, तथा नियमावली में निर्दिष्ट डाल एवं पत्ता के साथ फल होना चाहिए।

6. हर वर्ग में प्रदर्श की उतनी ही संख्या प्रदर्शनी में रखें, जितना नियमावली में दिया गया है। कम या अधिक संख्या होने पर प्रदर्श का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रदर्श में दिये गये फल एक आकार / प्रकार के हों एवं [redacted] सुन्दर तथा स्वस्थ हों। फल पर तेल वगैरह नहीं लगावें। फल साफ–सुथरा होना चाहिए।

7. इस प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु कोई प्रवेश शुल्क देय नहीं है।

8. प्रत्येक खण्ड में प्रथम (2,500 / – रूपये) द्वितीय (1,500 / – रूपये), तृतीय (1,000 / – रूपये) पुरस्कार दिये जायेंगे। उक्त पुरस्कार के साथ प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। संस्थाओं को सिर्फ प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। किसी खण्ड में जितने पुरस्कार संस्थाओं को मिलेंगे, उतनी संख्या में पुरस्कार को और आगे बढ़ा दिया जायेगा, जिससे कि आमजन को लाभ प्राप्त हो सके, बशर्त्ते निर्णायक मंडल द्वारा आमजनों के प्रदर्श को उत्तम प्रकार का पाया जायेगा।

9. जिस खण्ड के तहत् पाँच से कम प्रविष्टि / प्रदर्श प्राप्त होंगे, उस खण्ड में पुरस्कार नहीं दिये जाएंगे। उदाहरणस्वरूप वर्ग–1, खण्ड–2 मिठुआ में कम से कम पाँच प्रविष्टि नहीं होने पर इस वर्ग में पुरस्कार पर विचार

नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी खण्ड में प्रवेश निम्न कोटि के होने पर भी निर्णायक किसी भी प्रकार का पुरस्कार देना अस्वीकार कर सकता है।

10. विभिन्न वर्ग के विभिन्न खण्डों के लिए सभी प्रदर्शों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देना बाध्यता नहीं होगी।

11. आम के फल के बने पदार्थों को रंगहीन (सफेद) शीशा के बर्तन में लाये। उसका ढक्कन यदि धातु का हो तो साफ–सुथरा बिना जंग का हो। अगर कार्क हो तो वह साफ हो। उसमें वस्तु की मात्रा सही हो।

12. आम के पौध साफ गमले / पॉलीथीन बैग में लाएं तथा पत्ते पर धूल–कण इत्यादि जमा नहीं होनी चाहिए।

13. प्रदर्शन हेतु प्रत्येक प्रदर्श सामग्री के साथ प्रदर्शकों के प्रदर्श पहचान के लिए दो प्रवेश पत्र मिलेंगे, जिन पर वर्ग, शाखा, प्रवेश संख्या आदि संबंधी विवरण लिखे होंगे। प्रवेश पत्र के एक प्रति को अपनी प्रविष्टि के साथ प्रतियोगिता के लिए प्रदर्शनी कक्ष में रखना होगा तथा दूसरी प्रति को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, जिसे पुरस्कार लेने एवं प्रदर्श वापसी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तभी पुरस्कार एवं अपना प्रदर्श वापस प्राप्त कर सकेंगे। प्रदर्श वस्तु पर अपना नाम–पता या पहचान नहीं लिखें।

14. प्रदर्शनी की समाप्ति पर प्रवेश–पत्र की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के उपरांत ही सामग्री वापस की जायेगी। प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शों की सुरक्षा के हर संभव उपाय किए जाएंगे, फिर भी किसी अपरिहार्य कारणवश यदि कोई प्रविष्टि / सामग्री नष्ट हो जाती है या खो जाती है तो इसे वापस करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा। प्रदर्शनी की समाप्ति के 24 घंटों के अन्दर निर्दिष्ट अवधि में यदि प्रदर्शकों द्वारा अपनी सामग्री वापस नहीं ली जाती है, तो इसे किसी अन्य व्यक्ति को दान स्वरूप दे दिया जायेगा।

15. प्रदर्श के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति के कोई सदस्य या प्रदर्शनी समिति का कोई सदस्य भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही इस प्रदर्शनी में भाग ले सकते हैं। परन्तु जिस वर्ग / खण्ड में उसके प्रदर्श की प्रविष्टि होगी, उस वर्ग / खण्ड के मूल्यांकन में उन्हें अपने आप को पारखी या निर्णाय से अलग कर लेना अनिवार्य होगा।

16. एक प्रतिस्पर्धी के रूप में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति प्रविष्टियों के मूल्यांकन के समय प्रदर्शनी में मौजूद नहीं होंगे।

17. प्रदर्शनी का उद्देश्य उत्कृष्ठ उत्पादन के आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। प्रदर्शनी में भाग लेना ही पुरस्कार पाने की गारंटी नहीं है। प्रविष्टि/प्रदर्श का मूल्यांकन चयनित निर्णायक द्वारा किया जायेगा। पुरस्कार निर्णायक दल के अनुशंसा पर दिये जायेंगे। सरकारी संस्थानों के प्रदर्शों के लिए केवल प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।

18. निर्णायक मण्डली नयी चीजों या जो निर्धारित कोटि की न हो, पर पारितोषिक भी दे सकते हैं। उन चीजों को विशिष्ट पारितोषिक भी दे सकते हैं, जो ऊँचे दर्जे की है, लेकिन तालिका में उसका उल्लेख नहीं है। प्रत्येक स्थिति में निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

19. प्रदर्शों को पुरस्कार के लिए उनकी गुणवत्ता के आधार पर चुना जाएगा। प्रत्येक स्थिति में निर्णायक दल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा इसके लिए प्रदर्शों के आकार, रंग–रूप, किस्म, ताजगी, स्वच्छता की वर्त्तमान स्थिति इत्यादि पर विचारोपरान्त दिया जाएगा।

20. उन सभी विषयों जिस का जिक्र इस नियमावली में नहीं है, से संबंधित निर्णय प्रदर्शनी आयोजन समिति लेगी और हर हालत में उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान से सम्पर्क किया जा सकता है। राज्यस्तरीय आम विविधता प्रदर्शनी –सह– प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्त्तें विभागीय

वेबसाईट www.horticulture.bih.nic.in/www.bausabour.ac.in पर भी देखा जा सकता है।